संख्या-127/2020/1813/24-1-20-1348(बजट)/2020

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2×500 मेगावाट अनपरा द, 2×250 मेगावाट हरदुआगंज, 2×210 मेगावाट पारीछा एवं 2×250 मेगावाट पारीछा विस्तार तापीय परियोजना में एनओएक्स उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने हेतु कम्बस्टन मोडीफिकेशन पैकेज के कार्य एवं परामर्शी सेवा हेतु अंशपूॅजी के मद में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-207/उ0नि0लि0/नि0(वित्त)/, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2×500 मेगावाट अनपरा द, 2×250 मेगावाट हरदुआगंज, 2×210 मेगावाट पारीछा एवं 2×250 मेगावाट पारीछा विस्तार तापीय परियोजना में एनओएक्स उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने हेतु कम्बस्टन मोडीफिकेशन पैकेज के कार्य एवं परामर्शी सेवा हेतु अंशपूॅजी विनियोजन में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,00,00,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 5,00,00,000/- (रूपये पॉच करोड़ मात्र) स्वीकृत कर निम्नलिखि शर्तों के अधीन आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

3- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन -190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14-उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1428 -2×500 मेगावाट अनपरा द एवं 2×250 मेगावाट हरदुआगंज, 2×210 मेगावाट पारीछा एवं 2×250 मेगावाट पारीछा तापीय परियोजना में एनओएक्स उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने हेतु कम्बस्टन मोडीफिकेशन पैकेज के कार्य एवं परामर्शी सेवा हेतु अंशपूँजी -30- निवेश-ऋण" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 280 /दस-2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 127 /2020/1813(1)/24-1-20, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in